

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मेल

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, जेल रोड, भोपाल


क्रमांक/बोर्ड/ऋण/5-12/ 213

भोपाल, दिनांक 08/09/2016

-:: आदेश ::-

संचालक मण्डल की 112 वी बैठक दिनांक 29.6.2009 में अतिरिक्त प्रस्ताव क्रमांक-07 में लिये गये निर्णय अनुसार बोर्ड ऋण नीति की कंडिका क्रमांक-1(1) के प्रावधान अनुसार "प्रथम बार स्थापित किये गये मण्डी प्रांगण या प्रथम बार स्थापित की गई उपमण्डी हेतु बोर्ड द्वारा विहित की गई संरचना का संनिर्माण करना एवं उससे संबंधित स्थापना के व्यय को पुरा करने के लिये रूपये 10.00 लाख तक या अनुमानित व्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। यह अनुदान मण्डी/उपमण्डी प्रांगण के प्रथम बार स्थापना से अधिकतम 06 माह की अवधि में ही स्वीकृत किया जावेगा। उक्त 06 माह की अवधि की गणना अभिन्यास स्वीकृत दिनांक से की जायेगी।

संचालक मण्डल की 127 वी बैठक दिनांक 02.8.2016 में प्रस्ताव क्रमांक-08 में लिये गये निर्णय अनुसार ऋण नीति की कंडिका क्रमांक 1(1) के प्रावधान को संशोधित किया जाकर ऋण नीति की कंडिका 1(1) में यह अनुदान मण्डी/उपमण्डी प्रांगण के प्रथम स्थापना से अधिकतम 06 माह की अवधि में स्वीकृत किये जाने के स्थान पर 01 वर्ष की अवधि में स्वीकृत किया जावेगा। उक्त 01 वर्ष की अवधि की गणना अभिन्यास स्वीकृत दिनांक से की जावेगी।

  
प्रबंध संचालक


म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/5-12/ 214

भोपाल, दिनांक 08/09/2016

प्रतिलिपि:- (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)

- (1) अपर संचालक (बोर्ड बैठक) म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर पालन प्रतिवेदन प्रेषित।
- (2) मुख्य अभियंता, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
- (3) अपर/संयुक्त/उप संचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,.....।
- (4) सचिव (समस्त), कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला.....(म०प्र०)

  
प्रबंध संचालक

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल